an>

Title: Issue regarding amendments in Civil laws pertaining to civil installations in the country.

**श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :** महोदय, रक्षा मंत्रालय के कुछ अफसरों के कारण मुंबई में परेशानियाँ बढ़ रही हैं। मुंबई व अन्य कई शहरों में डिफेंस के इंस्टॉलेशन्स हैं। रक्षा मंत्रालय ने इन इंस्टॉलेशन्स के आस-पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए 21 अक्टूबर, 2016 को सिविल लॉ में कुछ बदलाव किए। इसके बाद उन्होंने एक सर्कुलर के माध्यम से वहाँ की रैस्टोरेशन की जगह को 100 मीटर से घटाकर 10 मीटर कर दिया था। इस आर्डर के अनुसार देश में किसी भी डिफेंस इंस्टॉलेशन के बाहर 10 मीटर तक कोई भी लोकल कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मुंबई में एक क्षेत्र ऐसा भी है, जहाँ नेवी की इंस्टॉलेशंस हैं। उसके संबंध में नेवी अफसर एन.ओ.सी. नहीं दे रहे हैं। मुंबई स्थित नेवी के कंट्रोलर और टेक्निकल सर्विसिज के अफसरों ने बी.एम.सी. के ऐसे सभी प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने इसका कारण यह बताया है कि यह सर्कुलर डिफेंस आर्मी विंग पर लागू होता है, यह नेवी विंग पर लागू नहीं होता है। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि ये सभी प्रस्ताव नेवी की किसी संवेदनशील स्थापना के आस-पास नहीं हैं। वहाँ नेवी की रेसिडेंशियल कॉलोनी है। मुंबई के कोलाबा, वर्ली, घाटकोपर, कांदीवली, मलाड़, बोरीवली, अणुशक्तिनगर और चेंबूर, थाणे के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टस रोके गए हैं। इससे वहाँ के हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। यह बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में गंभीरता से जाँच कराएं। मैं यह मांग करता हूँ कि, जो अफसर मंत्रालय के आर्डर्स को रिजेक्ट कर के आम जनता को परेशान कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Gopal Shetty is permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.